न्यायालय ..... राजस्थान सरकार

स.मु.अ.33 4-2000-10 लाख प्रति.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Cill

2021/625

जब अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

..... रामनिवास ..... बनाम ..... [illegible] .....

किस्म मुकदमा ..... [illegible] नं0 ..... 82/2021 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जब डिप्टी कलेक्टर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/10/2021 प्रार्थी रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा अहकपुरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा ने आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पेश किया सरपंच पंचायत ग्राम अहकपुरी संवत 2016-2021 के खाता संख्या 05 पुराना 05 के खाता संख्या 23-22 खाता संख्या 30-30 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम किशन लाल पुत्र कन्हैया पढ़ा लिखा हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र बैंक पास बुक में सही नाम रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल है। नाम में विरोधाभास होने से अन्य समस्या कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी का सरपंच रिकार्ड में सही नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थी प्रार्थना [illegible] पर बसवा प्राप्त की गई शिविर में उप ग्राम जन एवं सरपंच ग्राम पंचायत से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.11.16 12:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अति आवश्यक
"प्रशासन गांवों के संग" अभियान, 2021

नम्बर व ता
आदेश जा
हुक्म की ता
में जारी हुए

जमाबन्दी की गई उपरोक्त सभी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम किशनलाल का सही नाम रामकिशन माली दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होना प्रकट किया। उपरोक्त अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित किया।

उपरोक्त निवेदन से एवं संलग्न प्रस्तावित आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, बैंक पास बुक से सही नाम रामकिशन होना जाहिर आता है। अतः प्रार्थी व्यक्ति का नाम दुरुस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि राजस्व जमाबन्दी ग्राम अक्षयपुरी तहसील सकराय जिला दौसा संवत 2076-2079 के खाता संख्या 5-5, 23-22, 30-30 में अंकित नाम किशनलाल पुत्र कन्हैया जाति माली के स्थान पर रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति माली दर्ज किया जावे शेष इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी यथावत रहेगी।

तहसीलदार सकराय / उपतहसीलदार सांवलोद निवेदन [illegible] रिकार्ड के अमल दरामद [illegible] दर्ज रजिस्टर कर फैसल [illegible] बाद तामील दफ्तर दाखिल हो।

उप जिला कलक्टर
सांवलोद (दौसा)
प्रशासन [illegible] 2021
शिविर [illegible] प्रतापपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.11.16 12:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner